REET 2025
LEVEL-2
वंदन बैच
POLITY
संविधान की विशेषताएं
LIVE
30-12-2024 07:00 PM

1. सबसे विशाल संविधान :-

- भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ है।

470

25

USA ⇒ 7 अनुच्छेद

2. लिखित और निर्मित संविधान :-

- भारत का संविधान लिखित और निर्मित संविधान है, जिसे एक संविधान सभा ने निश्चित समयावधि में तैयार किया गया। (2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन)

  लागत → 64 लाख

3. संविधान की सर्वोच्चता :-

- भारत में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है।

4. गणतंत्रीय शासन प्रणाली :-

भारत का प्रथम नागरिक → राष्ट्रपति
↓
चुनाव
↓
जनता
↓
अप्रत्यक्ष

- गणतंत्र से तात्पर्य है कि देश का सबसे बड़ा पद जनता द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाये।
- भारत में सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है।

5. पंथनिरपेक्षता :- / धर्मनिरपेक्षता

42वां-1976

- अनु. 25 में धर्म के क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता दी गई है। धर्म के नाम पर किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

मूल अधिकार ⇒ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

6. संसदीय शासन प्रणाली :-

- भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है जिसके तहत् भारत की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों के मध्य गहरा संबंध स्थापित किया गया है।
- कार्यपालिका संसद का ही एक अभिन्न अंग है अर्थात् मंत्रिपरिषद के सदस्य अनिवार्यतः संसद के सदस्य होते हैं।
- मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

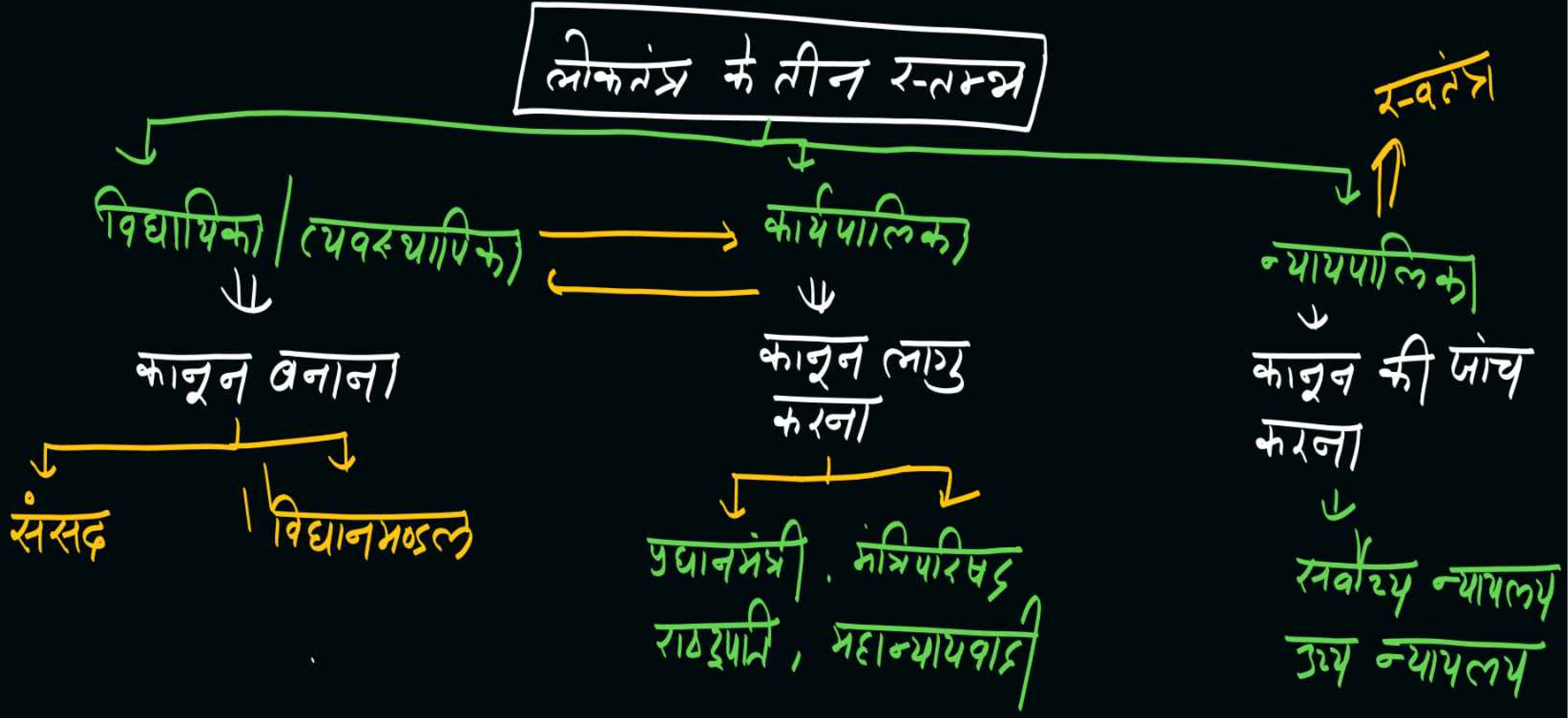
लोकतंत्र के तीन स्तम्भ
विधायिका / व्यवस्थापिका
कार्यपालिका
न्यायपालिका
स्वतंत्र
कानून बनाना
कानून लागु करना
कानून की जांच करना
संसद
विधानमंडल
प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद
राष्ट्रपति, महान्यायवादी
सर्वोच्च न्यायालय
उच्च न्यायालय

7. संघात्मक और एकात्मक शासन का समन्वय :-

संघीय शासन प्रणाली
↓
केन्द्र सरकार
↓
राज्य सरकार
↓
स्थानीय स्वशासन

- भारत में मोटे तौर पर संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, लेकिन इसे विशुद्ध संघीय शासन प्रणाली नहीं कहा जा सकता।
- देश की एकता और अखण्डता को बनाये रखने के लिए संघीय शासन प्रणाली के साथ अनेक एकात्मक तत्वों का मिश्रण किया गया है।

8. लचीलेपन और कठोरता का समन्वय :-

- भारतीय संविधान में संशोधन करने की तीन प्रक्रियाओं को अपनाकर लचीलेपन और कठोरता दोनों का मिश्रण किया गया।
- संविधान के कम महत्वपूर्ण अधवा साधारण प्रावधानों में संसद साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है।
- संविधान के महत्वपूर्ण तथा अधिकांश भाग ने संसद विशेष बहुमत से संशोधन कर सकती है तथा संविधान के अति-महत्वपूर्ण प्रावधानों में संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ-2 कम से कम आधे राज्यों का समर्थन आवश्यक है

9. एकीकृत न्यायपालिका :-

➤ संघीय शासन प्रणाली होने के बावजूद संविधान में न्यायपालिका के एकीकृत स्वरूप को अपनाया गया है, अर्थात् भारत में राज्यों की अलग से न्यायपालिका नहीं है, बल्कि भारत में समस्त न्यायपालिका एक ही श्रृंखला में श्रृंखलावद्ध है। अधीनस्य न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन होते है, तथा समस्त उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होते हैं

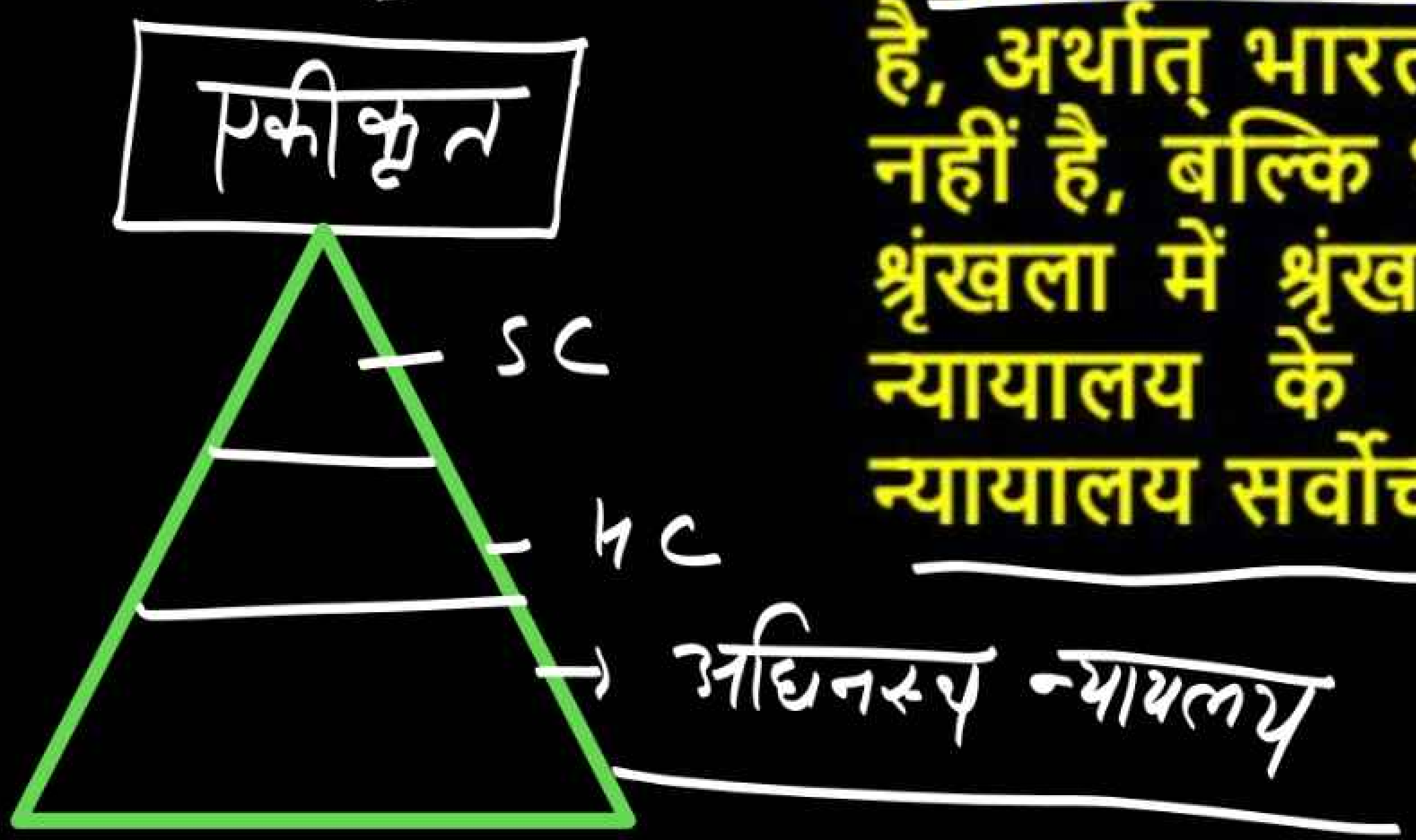

10 . स्वतंत्र न्यायपालिका :-

न्यायपालिका में राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता

- संविधान द्वारा अनेक प्रावधानों के माध्यम से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है ताकि यह स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता को बरकरार रख सके।

11. न्यायिक पुनरावलोकन :-

- न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को 'प्राप्त उस शक्ति से है, जिसके तहत् वे संसद अथवा विधानमण्डल द्वारा बनाई गई ऐसी विधियों को असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर सकता है जो संविधान का उल्लंघन करती है।

12. इकहरी नागरिकता :-

- संघीय शासन प्रणाली वाले देशों में दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया जाता है।
- भारत में संघीय शासन प्रणाली होने के बावजूद राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाये रखने के लिये हमने एकल नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है अर्थात कोई व्यक्ति चाहे किसी भी राज्य का निवास्ती हो, वह केवल भारत का नागरिक होगा। राज्यों की नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

13. आपातकालीन प्रावधान :-

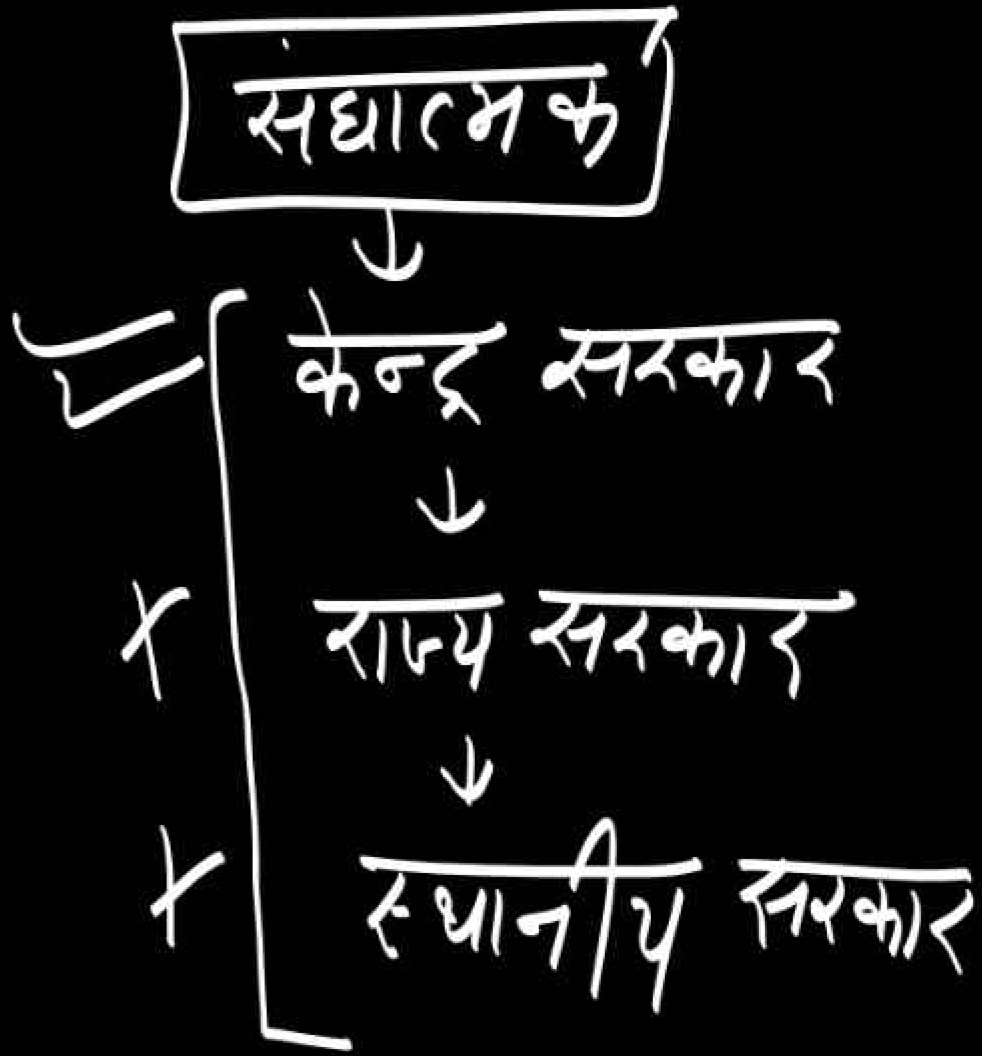

- संकटकालीन परिस्थितियों में राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाये रखने के लिए आपातकालीन प्रावधान शामिल किये गये, जिसके तहत् आपातकालीन परिस्थितियों में संघात्मक शासन प्रणाली एकात्मक शासन प्रणाली में बदल जाती है।

- ऐसे आपातकालीन प्रावधान तीन प्रकार के है-

i. राष्ट्रीय आपातकाल (अनु॰ 352)
ii. राष्ट्रपति शासन (अनु. 356)
iii. वित्तीय आपातकाल (अनु. 360)

14. नीति-निर्देशक तत्व :-

- मिनर्वा मिल्स वाद, 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों व नीति निर्देशक तत्व । सिद्धातों के संतुलन पर रखी गई है।"

भविष्य के मूल अधिकार

15. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार :-

- इससे तात्पर्य है- सभी वयस्क व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार ।
- मूल संविधान में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित थी।
- 61 वें सवि० संशोधन, 1989 द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया।

संविधान संशोधन 1989 —

प्रस्तावना	उद्देशिका